

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


दिनांक 20/4/2021

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2021/4003

// कार्यालयीन आदेश //


विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिकारी/अधिकाओं को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 579/605 /2021/38-3, भोपाल दिनांक 15.04.2021 के द्वारा कोविड-19 महामारी के वर्तमान प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक विभाग प्रमुख को निम्न निर्देश जारी किये गये हैं:-

1. कार्यालयों में शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी इसका निर्धारण संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा रोटेशन के अनुसार किया जावेगा तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी दूरभाष पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कार्यालय को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जावे।
3. कार्यालय में आने वाले समस्त अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों से अपेक्षित है कि वे कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
4. शिक्षण कार्य तथा 5 से अधिक प्रतिभागियों की संख्या वाली बैठकों को ऑनलाईन आयोजित किया जाये।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिकारी/कर्मचारी जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. समस्त विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. जन्संपर्क अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


सहा/उप-कुलसचिव(प्रशा0)